(ग) क्या इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा छापे मारे गए हैं; यदि हों, तो उसका कारण क्या है ?

**वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते):** (क) से (ग) गैर चिकित्सीय और गैर वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अफीम-पोस्त तथा कैनाबिस (गांजा) की खेती करना स्वापक औषध द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत वर्जित है ।

जहां तक चिकित्सीय प्रयोग के लिए वैध अफीम-पोस्त की काश्त करने का संबंध है, काश्तकार को लाइसेंस के अन्तर्गत दिये गये क्षेत्र का तथा वास्तविक रूप में काश्त किये गये क्षेत्र का सत्यापन करने के लिए प्रारम्भिक तथा जांच-माप की जाती है । क्षेत्र के प्रभारी प्रवर्तन अधिकारियों से भिन्न, प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यह जांच-माप की जाती है ताकि काश्तकार तथा प्रवर्तन अधिकारियों के बीच किसी तरह की सांठ-गांठ न हो सके । यदि अनुज्ञात क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में काश्त करने के किसी मामले का पता चलता है अथवा ऐसा कोई मामला नारकोटिक्स विभाग के ध्यान में लाया जाता है तो इस पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये इसे गंभीरता से लिया जाता है ।

स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत कैनाबिस अथवा अफीम-पोस्त की अवैध काश्त के लिये विशेषतया, न्यूनतम 10 वर्षों के कठोर कारावास की अनिवार्य न्यूनतम सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था है जिसे 20 वर्षों के कठोर कारावास तथा दो लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है ।

जहां कहीं भी अफीम-पोस्त अथवा गांजे की अवैध काश्त के बारे में सरकार को पता चलता है तो छापे मारकर ऐसी काश्त का पता लगाने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए कार्यवाही की जाती है । वर्ष 1988 तथा 1989 के दौरान किए गए ऐसे अभियानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| | नष्ट की गई अवैध काश्त का क्षेत्र (एकड़ में) | |
|---|---|---|
| | 1988 | 1989 |
| (क) अफीम-पोस्त की काश्त | 50 | 244 |
| (ख) कैनाबिस की काश्त | 1187 | 3139 |

**रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए शहतूत की खेती को बढ़ावा देने की योजना**

2117. श्री अजीत जोगी
श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में शहतूत की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ताकि रेशम के उत्पादन को बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशेष और अतिरिक्त लक्ष्य तय किये गये हैं ;

(ग) इस संबंध में किसानों को क्या-क्या सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी;

(घ) क्या इस प्रकार की योजना देश के अन्य राज्यों में चल रही हैं और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव):** (क), (घ) और (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 5

म्परागत रेशम उत्पादक राज्यों के सहयोग से पांच वर्ष की अवधि तक चलने वाली 555.30 करोड़ रु. की लागत की विश्व बैंक/स्विस सहायता से एक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना शुरू की है । यह परियोजना 5 परम्परागत रेशम उत्पादक राज्यों (कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और काश्मीर) तथा 12 गैर परम्परागत राज्यों (केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश) में क्रियान्वित की जा रही है ।

(ख) 60 टन कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 219 लाख रु० की राशि का निवेश किया जायेगा ।

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए शहतूत के रोपण कीटपालन उपस्कहों की खरीद कीट पालन गृहों के निर्माण तथा सिंचाई के कुंओं की खुदाई के लिए किसानों की सहायता दी जाएगी । किसानों को शहतूत की कलमों की सप्लाई की जाएगी तथा तकनीकी सेवा केन्द्रों के जरिए उन्हें तकनीकी मार्ग-निर्देशन दिया जाएगा ।

**Export of Drugs**

2118. CHOWDHARY RAM SEWAK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1121 given in the Rajya Sabha on the 4th May, 1989 and state:

(a) what was the export of Norflaxicincin, Danazal, Vincrestine and Vinblastine during 1st January to 31st December, 1989;

(b) whether it is a fact that these drugs are allowed for import under OGL;

(c) what was the import of each during 1989;

(d) whether his Ministry have received any request for shifting of these drugs from OGL; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) and (c) The drugs Norflaxicin, Danazol, Vincrestine and Vinblastine are not separately classified under Indian Trade Classificaion on the basis of which foreign trade statistics are compiled.

(b) Yes, Sir.

(d) and (e) The forthcoming new Import & Export Policy will be laid on the Table of the House on 30th March, 1990. It is, therefore, premature to disclose details about the policy regime for these items at this stage.

**Setting up of a food processing plant by the Punjab Agro Industries Corporation**

2119. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the amount sanctioned by the Project Approval Board of Punjab to the Punjab Agro Industries Corporation for setting up a food processing, potato chips and soft drink plant;

(b) whether it is a fact that pre-operative expenses of about Rs. 10 crores have been spent; and

(c) what are the items and value on which pre-operative expenses have been spent?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Sale of products of 100 per cent foreign owned companies in the domestic market**

2120. SHRI K. V. THANGKABALU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 389 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1990 and state:

(a) what are the names of the three 100 per cent foreign owned companies